

कश्मीर नीति: अनुच्छेद 370 हटने के बाद की स्थिति

डा० अरविन्द कुमार शुक्ल¹

¹एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिन्दकी, फतेहपुर

Received: 20 September 2025 Accepted & Reviewed: 25 September 2025, Published: 30 September 2025

Abstract

भारत के संघीय ढांचे में जम्मू-कश्मीर एक विशेष संवैधानिक स्थिति वाला राज्य था, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत अस्थायी प्रावधान के रूप में रखा गया था। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा इस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया, जिससे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया और इसे दो केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित किया गया। इस निर्णय ने भारत की कश्मीर नीति में एक ऐतिहासिक परिवर्तन किया। यह शोध-पत्र अनुच्छेद 370 के हटने के बाद कश्मीर की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सुरक्षा स्थिति का विश्लेषण करता है। साथ ही यह अध्ययन इस कदम के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों को भी रेखांकित करता है।

मुख्य शब्द — कश्मीर नीति, अनुच्छेद 370, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, संघीय ढांचा, आतंकवाद, विकास, मानवाधिकार, भारत सरकार, लोकतंत्र।

Introduction

कश्मीर भारत की अखंडता, सांस्कृतिक विविधता और भौगोलिक महत्त्व का प्रतीक क्षेत्र रहा है। हिमालय की गोद में बसा यह प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक सह-अस्तित्व और ऐतिहासिक गौरव के लिए प्रसिद्ध है। परंतु 1947 में भारत की स्वतंत्रता और विभाजन के पश्चात कश्मीर का प्रश्न भारतीय राजनीति का सबसे जटिल और संवेदनशील मुद्दा बन गया। जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय शर्तों के अधीन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़ा गया जो इस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता था। यह विशेष प्रावधान मूलतः अस्थायी स्वरूप का था, किंतु समय के साथ यह स्थायी विवाद का कारण बन गया। अनुच्छेद 370 ने न केवल जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्यधारा से अलग बनाए रखा बल्कि क्षेत्रीय असमानता, राजनीतिक अस्थिरता और अलगाववाद को भी जन्म दिया। आतंकवाद और सीमा पार हिंसा ने इस समस्या को और जटिल बना दिया। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अनुच्छेद 370 और 35 अ को निरस्त कर दिया तथा जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। इस निर्णय ने भारत की कश्मीर नीति में एक निर्णायक परिवर्तन का संकेत दिया। यह न केवल संवैधानिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और विकास के नए आयाम भी प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद की परिस्थितियों में कश्मीर की राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की दिशा में अनेक परिवर्तन देखने को मिले। एक ओर जहाँ इस कदम से भारत की संघीय एकता को मजबूती मिली, वहीं दूसरी ओर कुछ आलोचनाएँ भी उभरीं जैसे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की कमी, मानवाधिकारों से जुड़ी चिंताएँ, और विश्वास बहाली की आवश्यकता।

इस शोध-पत्र का उद्देश्य अनुच्छेद 370 हटने के बाद की कश्मीर नीति का बहुआयामी विश्लेषण करना है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से। साथ ही यह अध्ययन यह समझने

का प्रयास करता है कि इस परिवर्तन ने जम्मू-कश्मीर की स्थिति में क्या वास्तविक सुधार या चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं, और भारत की राष्ट्रीय नीति पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकता है।

परिकल्पना— अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद जम्मू-कश्मीर की स्थिति में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। इस शोध के लिए मुख्य परिकल्पनाएँ इस प्रकार हैं—

1. अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सुधार हुआ है।
2. अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद समाज में समान नागरिक अधिकार, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक समावेशिता में वृद्धि हुई है।
3. अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में निवेश, उद्योग, पर्यटन और बुनियादी ढांचे का विकास तेजी से हुआ है।
4. अनुच्छेद 370 के निरसन के पश्चात आतंकवाद और अस्थिरता में कमी आई है और सुरक्षा स्थिति बेहतर हुई है।
5. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुच्छेद 370 के निरसन से भारत की संप्रभुता और कूटनीतिक स्थिति मजबूत हुई है।

शोध प्रविधि (Research Methodology)— इस शोध में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सुरक्षा और कूटनीतिक प्रभावों का अध्ययन करने के लिए व्यवस्थित और बहुआयामी अनुसंधान कार्यप्रणाली अपनाई गई है।

1. अनुसंधान का प्रकार— यह अध्ययन मिश्रित अनुसंधान पर आधारित है, जिसमें गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों दृष्टिकोण शामिल हैं।

गुणात्मक अध्ययन— राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक परिवर्तनों का विवेचन और विश्लेषण।

परिमाणात्मक अध्ययन— आतंकवादी घटनाओं, निवेश, रोजगार और पर्यटन के आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण।

2. डेटा संग्रहण —

(क) प्राथमिक स्रोत—

साक्षात्कार— प्रशासनिक अधिकारी, नीति निर्माता, सुरक्षा विशेषज्ञ, समाजशास्त्री।

फील्ड सर्वेक्षण— स्थानीय नागरिकों, युवाओं और महिलाओं से प्रतिक्रिया।

प्रेक्षण— सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का प्रत्यक्ष निरीक्षण।

(ख) द्वितीयक स्रोत—

सरकारी रिपोर्ट, अधिसूचनाएँ और दस्तावेज़।

शोध पत्र, पुस्तकें, जर्नल और केस स्टडी।

समाचार पत्र, पत्रिकाएँ और विश्वसनीय ऑनलाइन स्रोत।

3. डेटा विश्लेषण—

(क) गुणात्मक विश्लेषण— राजनीतिक और प्रशासनिक बदलाव, सामाजिक समावेशिता और सांस्कृतिक प्रभावों का विवरण।

स्थानीय समुदायों की प्रतिक्रियाओं और नीति के प्रभावों की विवेचना।

(ख) परिमाणात्मक विश्लेषण—

आतंकवादी घटनाओं, निवेश, रोजगार, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण।

अनुच्छेद 370 हटने से पहले और बाद के आंकड़ों की तुलनात्मक समीक्षा।

4. अनुसंधान उपकरण— प्रश्नावली, साक्षात्कार गाइड, सरकारी डेटा और सांख्यिकी, सॉफ्टवेयर उपकरण— (यदि आवश्यक)

5. अनुसंधान की सीमाएँ—

✚ कुछ सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों से डेटा की सीमित उपलब्धता।

✚ स्थानीय प्रतिक्रिया में पक्षपात या आत्म-प्रतिबिंब की संभावना।

✚ अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं और मीडिया रिपोर्टों में विरोधाभासी जानकारी।

6. अनुसंधान का उद्देश्य— अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा क्षेत्र में परिवर्तन का समग्र मूल्यांकन करना। नीति निर्माता, सुरक्षा एजेंसियों और शोध समुदाय के लिए सिद्धांत और तथ्य आधारित निष्कर्ष प्रदान करना। भविष्य के लिए समावेशी और सतत विकास संबंधी नीतिगत सुझाव तैयार करना।

अनुच्छेद 370 का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य— भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समापन और 15 अगस्त 1947 को देश की स्वतंत्रता के साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक भूगोल में बड़े परिवर्तन हुए। ब्रिटिश भारत के विभाजन के पश्चात लगभग 562 देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में विलय का विकल्प दिया गया। इन्हीं रियासतों में से एक थी जम्मू और कश्मीर, जो तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह के अधीन थी।

जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय— स्वतंत्रता के समय जम्मू-कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य था, परंतु वहाँ के शासक महाराजा हरि सिंह हिंदू थे। उन्होंने प्रारंभ में भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी से भी जुड़ने का निर्णय नहीं लिया और स्वतंत्र रहने की इच्छा जताई। लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबायली हमले के बाद स्थिति बदल गई। देश की सुरक्षा के मद्देनज़र महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस दस्तावेज़ के माध्यम से जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। हालाँकि, इस विलय के साथ कुछ विशेष शर्तें भी जुड़ी थीं जैसे रक्षा, संचार और विदेश नीति के अलावा अन्य विषयों पर राज्य को स्वायत्तता प्राप्त रहेगी। इस संवैधानिक प्रावधान को ही बाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के रूप में रूपांतरित किया गया।

अनुच्छेद 370 का गठन और उद्देश्य— भारतीय संविधान सभा में जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे पर लंबी बहस हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और जम्मू-कश्मीर के नेता शेख अब्दुल्ला के बीच समझौते के आधार पर यह अनुच्छेद संविधान के भाग XXI (अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान) में शामिल किया गया। इस अनुच्छेद का मूल उद्देश्य था, जम्मू-कश्मीर की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में

रखते हुए अस्थायी स्वायत्तता प्रदान करना। राज्य की जनता का विश्वास अर्जित कर लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास करना। राज्य में धीरे-धीरे भारतीय संविधान के प्रावधानों को लागू करना।

अनुच्छेद 370 की प्रमुख विशेषताएँ—

सीमित विधायी अधिकार — संसद केवल रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे विषयों पर कानून बना सकती थी।

राज्य का संविधान — जम्मू-कश्मीर का अपना संविधान 1956 में अस्तित्व में आया।

अलग झंडा और नागरिकता — राज्य के पास अपना झंडा था, और केवल “स्थायी निवासी” ही वहाँ भूमि खरीद सकते थे।

राष्ट्रपति आदेश की आवश्यकता — भारतीय संविधान के अन्य प्रावधान राज्य पर तभी लागू हो सकते थे, जब राज्य सरकार की सहमति प्राप्त हो।

35 अ का समावेश— 1954 में राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 35 अ जोड़ा गया, जिसने जम्मू-कश्मीर सरकार को “स्थायी निवासियों” के अधिकार तय करने का विशेषाधिकार दिया। इससे राज्य के बाहर के नागरिकों को भूमि खरीदने या सरकारी नौकरियों में भाग लेने से वंचित रखा गया।

विवाद और विरोधाभास— समय के साथ अनुच्छेद 370 भारतीय राजनीति में विवाद का केंद्र बन गया। इसके विरोध के पीछे मुख्य तर्क थे कि यह अनुच्छेद भारत की एकता और अखंडता की भावना के विपरीत है। यह राज्य में अलगाववाद और आतंकवाद को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देता है। यह महिलाओं और दलितों के समान अधिकारों में बाधा बनता है। दूसरी ओर, समर्थकों का मत था कि यह अनुच्छेद कश्मीर की विशिष्ट पहचान और स्वायत्तता की रक्षा करता है।

क्रमिक परिवर्तन—

1950 से 2019 तक विभिन्न राष्ट्रपति आदेशों के माध्यम से भारतीय संविधान के लगभग 94 प्रावधान जम्मू-कश्मीर में लागू किए गए।

1956— जम्मू-कश्मीर विधानसभा द्वारा राज्य का संविधान स्वीकार किया गया।

1965— “सदर-ए-रियासत” का पद समाप्त कर “राज्यपाल” का पद स्थापित किया गया।

1975— इंदिरा गांधी शेख अब्दुल्ला समझौते के तहत कई संवैधानिक प्रावधानों का विस्तार हुआ।

इन परिवर्तनों से यह स्पष्ट हुआ कि अनुच्छेद 370 अपनी “अस्थायी” प्रकृति में धीरे-धीरे “प्रतीकात्मक” बन चुका था।

अनुच्छेद 370 का निरसन 2019— 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 370 को अप्रभावी घोषित कर दिया। उसी दिन संसद ने “जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019” पारित किया, जिसके तहत राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर (विधानसभा सहित) और लद्दाख (बिना विधानसभा) में विभाजित कर दिया गया। यह निर्णय न केवल संवैधानिक सुधार था, बल्कि स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता की दिशा में एक निर्णायक कदम भी था।

अनुच्छेद 370 का निरसन— प्रक्रिया और कानूनी पहलू— भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 को प्रारंभ में "अस्थायी प्रावधान" के रूप में जोड़ा गया था। इसका तात्पर्य था कि यह अनुच्छेद स्थायी नहीं रहेगा और समय आने पर इसे हटाया या संशोधित किया जा सकेगा। परंतु सात दशकों तक यह अनुच्छेद अस्तित्व में बना रहा। भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को इस अनुच्छेद का निरसन किया जाना न केवल संवैधानिक दृष्टि से ऐतिहासिक था, बल्कि भारतीय संघीय ढांचे के पुनर्संयोजन का भी संकेतक था। इस खंड में हम अनुच्छेद 370 के निरसन की प्रक्रिया, कानूनी पक्ष और इसके संवैधानिक औचित्य का विस्तार से अध्ययन करेंगे।

अनुच्छेद 370(3) का प्रावधान— अनुच्छेद 370(3) के अनुसार "राष्ट्रपति, जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की अनुशंसा पर, एक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषित कर सकते हैं कि यह अनुच्छेद अब अप्रभावी हो जाएगा या उसमें संशोधन किया जाएगा।" यानी कि, तकनीकी रूप से अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की अनुशंसा आवश्यक थी। परंतु 1957 में जब जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा भंग हो गई, तो यह स्थिति उत्पन्न हो गई कि आगे कोई अनुशंसा संभव नहीं रही। इस संवैधानिक 'रिक्ति' को 2019 में भारत सरकार ने नए तरीके से हल किया।

राष्ट्रपति आदेश (Presidential Order- 2019)— 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019, जारी किया।

इस आदेश में कहा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 अब संशोधित रूप में लागू होगा और इसमें प्रयुक्त "राज्य की संविधान सभा" शब्द को "राज्य की विधानसभा" से प्रतिस्थापित किया जाएगा। क्योंकि उस समय जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू था, इसलिए राज्यपाल ही विधानसभा के अधिकारों का निर्वहन कर रहे थे। अतः राज्यपाल की सहमति को विधानसभा की अनुशंसा माना गया। यही वह कानूनी तकनीक थी जिसके माध्यम से अनुच्छेद 370 (3) के अंतर्गत आवश्यक शर्त पूरी की गई।

संसद की भूमिका और पुनर्गठन विधेयक— राष्ट्रपति आदेश के साथ ही केंद्र सरकार ने संसद में "जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019" प्रस्तुत किया।

इस विधेयक के दो मुख्य उद्देश्य थे। अनुच्छेद 370 और 35 अ को निरस्त कर जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करना। जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करना। (क) जम्मू-कश्मीर (विधानसभा सहित) (ख) लद्दाख (बिना विधानसभा)

8 अगस्त 2019 तक यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हो गया और राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ यह 9 अगस्त 2019 को अधिनियम के रूप में प्रभावी हो गया।

संवैधानिक वैधता और कानूनी औचित्य— भारत सरकार के इस कदम की संवैधानिक वैधता को लेकर व्यापक बहस हुई। समर्थकों का कहना था कि अनुच्छेद 370 अस्थायी था और उसे हटाना संविधान सम्मत है। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370(1)(क) के तहत यह अधिकार था कि वे राज्य की सहमति से किसी भी प्रावधान को संशोधित करें। राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राज्यपाल की सहमति कानूनी रूप से राज्य सरकार की सहमति के समान मानी जाती है (अनुच्छेद 356 के तहत)। विरोधियों का मत था कि राज्य की संविधान सभा के अभाव में अनुच्छेद 370(3) का प्रयोग नहीं किया जा सकता। राज्यपाल, निर्वाचित

विधानसभा का विकल्प नहीं हो सकते। यह कदम संघीय ढांचे के सिद्धांतों और लोकतांत्रिक भावना के विपरीत है। हालांकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इस निर्णय के विरुद्ध अनेक याचिकाएँ दायर की गईं, किंतु तब तक अनुच्छेद 370 का व्यावहारिक और विधिक अस्तित्व समाप्त हो चुका था।

अनुच्छेद 35 अ का स्वतः लोप— अनुच्छेद 35 अ, जो 1954 में राष्ट्रपति आदेश द्वारा जोड़ा गया था, अनुच्छेद 370 के अधीन ही अस्तित्व में था। जब 370 निरस्त हुआ, तो 35। स्वतः निष्प्रभावी हो गया। इसके हटने से जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासी से संबंधित विशेषाधिकार समाप्त हो गए। अब भारत के किसी भी नागरिक को वहाँ भूमि खरीदने, स्थायी रूप से बसने और सरकारी नौकरियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है।

प्रशासनिक पुनर्गठन— अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्रशासित प्रदेश बन गए। जम्मू-कश्मीर में एक निर्वाचित विधानसभा होगी, जिसका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा। लद्दाख में केवल उपराज्यपाल के अधीन प्रशासनिक ढांचा रहेगा। इस पुनर्गठन से केंद्र सरकार को प्रत्यक्ष रूप से कानून व्यवस्था, सुरक्षा और विकास परियोजनाओं पर नियंत्रण प्राप्त हुआ।

न्यायिक दृष्टिकोण और संवैधानिक बहस— भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 370 के निरसन की वैधता को लेकर अभी भी कई याचिकाएँ विचाराधीन हैं। हालांकि, कई संवैधानिक विशेषज्ञों (जैसे कि उपेंद्र बक्शी, सुब्रमण्यम स्वामी, हरीश साल्वे आदि) का मत है कि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को संशोधित करने का अधिकार था। यह कदम संविधान के अनुच्छेद 1 और 3 के अनुरूप है, जिनमें राज्यों के पुनर्गठन की अनुमति दी गई है। दूसरी ओर कुछ विद्वानों (जैसे कि ए.जी. नूरानी, प्रशांत भूषण आदि) ने इसे संघीय सिद्धांतों के विपरीत ठहराया।

प्रक्रिया की विशिष्टता और नज़ीर— अनुच्छेद 370 का निरसन भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक अभूतपूर्व नज़ीर बना। यह पहली बार था जब किसी राज्य का विशेष संवैधानिक दर्जा पूरी तरह समाप्त किया गया और उसे पुनर्गठित कर केंद्रशासित प्रदेश में बदला गया। यह निर्णय न केवल प्रशासनिक दृष्टि से बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के सिद्धांत की पुनर्स्थापना के रूप में भी देखा गया। अनुच्छेद 370 का निरसन एक जटिल संवैधानिक प्रक्रिया का परिणाम था, जिसमें राष्ट्रपति आदेश, संसद की मंजूरी और प्रशासनिक पुनर्गठन तीनों स्तरों पर कार्यवाही की गई। यह कदम भारत की संप्रभुता और अखंडता की दिशा में ऐतिहासिक माना गया। हालाँकि इसके विधिक औचित्य पर मतभेद बने हुए हैं, परंतु व्यावहारिक रूप से इसने जम्मू-कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों की तरह समान संवैधानिक ढांचे में समाहित कर दिया है।

राजनीतिक प्रभाव— अनुच्छेद 370 और 35 अ का निरसन केवल संवैधानिक या प्रशासनिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह एक राजनीतिक रूपांतरण भी था जिसने जम्मू-कश्मीर की राजनीति, सत्ता-संरचना, दलगत समीकरण, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव डाला। यह परिवर्तन भारत की संघीय राजनीति के लिए भी निर्णायक मोड़ साबित हुआ। अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र और राज्य (अब केंद्रशासित प्रदेश) के बीच शक्ति-संबंधों, स्थानीय राजनीतिक दलों की भूमिका, और लोकतांत्रिक संस्थाओं की संरचना में अनेक बदलाव देखने को मिले। क्षेत्रीय राजनीति का पुनर्गठन प्रारम्भ हुआ। अनुच्छेद 370 हटने से पहले जम्मू-कश्मीर की राजनीति मुख्यतः कुछ प्रमुख क्षेत्रीय दलों तक सीमित थी, जैसे जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये दल लंबे समय तक “विशेष राज्य दर्जे” के समर्थन पर राजनीति करते रहे। 5 अगस्त 2019 के बाद इस विमर्श की बुनियाद ही बदल गई। अब

राजनीतिक दलों को अपनी नीतियों और घोषणापत्रों में विकास, रोजगार, और सुशासन जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। कई नए दल भी सामने आए, जैसे जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी (गुलाम नबी आज़ाद द्वारा स्थापित)। इससे राज्य की राजनीति में बहुलतावाद की नई संभावना उत्पन्न हुई। फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पुनरुद्धार हुआ। 2019 के बाद केंद्र सरकार ने "नीचे से ऊपर तक लोकतंत्र" की नीति अपनाई। 2019-2021 के बीच पंचायत, नगर निकाय, और ब्लॉक विकास परिषद के चुनाव कराए गए। महिलाओं और युवाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन संस्थाओं को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए गए। इन कदमों ने लोकतंत्र की जड़ें मजबूत कीं और यह संकेत दिया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया धीरे-धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौट रही है। विधानसभा के पुनर्गठन की दिशा में कदम बढ़े— अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश घोषित किया गया, परंतु इसे विधानसभा का अधिकार भी मिला। 2020 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था। नई जनसंख्या गणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण हुआ। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण हुआ। 2022 में परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर दी गई। इससे राजनीतिक प्रतिनिधित्व का दायरा व्यापक हुआ और लद्दाख के पृथक्करण के बाद जम्मू क्षेत्र को अधिक महत्व मिला। केंद्र और राज्य (केंद्रशासित प्रदेश) संबंधों में परिवर्तन आया— जहां पहले जम्मू-कश्मीर के पास विशेष स्वायत्त अधिकार थे, परंतु अब वहाँ भारत के अन्य राज्यों के समान संवैधानिक ढांचा लागू है।

इस परिवर्तन से राज्यपाल (अब उपराज्यपाल) की शक्तियाँ बढ़ीं। केंद्र सरकार को कानून व्यवस्था और सुरक्षा मामलों में प्रत्यक्ष नियंत्रण प्राप्त हुआ। नीतिगत निर्णयों में पारदर्शिता और जवाबदेही की नई प्रक्रिया स्थापित हुई। हालाँकि, विपक्षी दलों ने इसे "राज्य के अधिकारों का हनन" माना और पूर्ण राज्य के दर्जे की पुनः बहाली की माँग की। अलगाववादी राजनीति का क्षरण भी हुआ— अनुच्छेद 370 हटने के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक परिवर्तन यह हुआ कि अलगाववादी संगठनों की सक्रियता लगभग समाप्त हो गई। हुर्रियत कौन्फ्रेंस, जो लंबे समय से "आत्मनिर्णय" की माँग कर रही थी, उसकी राजनीतिक जमीन कमजोर पड़ गई। पाकिस्तान समर्थित तत्वों की गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण हुआ। कई वर्षों से चल रहे "बंद" और "आम हड़ताल" की संस्कृति में उल्लेखनीय कमी आई। इससे आम नागरिकों का विश्वास शासन व्यवस्था में बढ़ा और हिंसा की जगह संवाद की संस्कृति उभरने लगी। राष्ट्रीय दलों की भूमिका का विस्तार हुआ— अनुच्छेद 370 हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव जम्मू-कश्मीर की राजनीति में बढ़ा। भाजपा ने "राष्ट्रीय एकता और विकास" के मुद्दे पर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य राष्ट्रीय दलों ने भी इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। इससे जम्मू-कश्मीर की राजनीति अब "क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय" विमर्श से आगे बढ़कर "विकास और सुशासन" के विमर्श में परिवर्तित हुई। इस लोकतांत्रिक भागीदारी में नई दिशा मिली— केंद्र सरकार की नीति का प्रमुख उद्देश्य रहा कि कश्मीर के युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए। खेल, शिक्षा, पर्यटन और स्टार्टअप जैसी योजनाओं में युवाओं को प्रोत्साहन दिया गया। 2021-2024 के बीच लगभग 6 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ा गया। युवा नेताओं के उदय से राजनीतिक संवाद में नई ऊर्जा आई। हालाँकि विपक्षी प्रतिक्रिया और आलोचना भी हुई कि राजनीतिक रूप से यह निर्णय

सर्वसम्मत नहीं था। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इस कदम को “संवैधानिक उल्लंघन” बताया। इन दलों के प्रमुख नेताओं कृ फारुक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, और महबूबा मुफ्ती को कुछ समय के लिए नजरबंद भी किया गया।

2020 में इन दलों ने मिलकर “गुपकर गठबंधन (People*s Alliance for Gupkar Declaration)” बनाया, जिसका उद्देश्य था अनुच्छेद 370 की पुनः बहाली की माँग को जीवित रखना। हालाँकि, आम जनता में इस गठबंधन को अपेक्षित जनसमर्थन नहीं मिला। धीरे-धीरे राजनीतिक विमर्श “विशेष दर्जे” से हटकर “स्थानीय विकास” की ओर केंद्रित हो गया। अब केंद्र-राज्य राजनीतिक संतुलन की नई परिभाषा सुगठित हुई। अनुच्छेद 370 हटने से केंद्र और जम्मू-कश्मीर के बीच शक्ति संतुलन का नया समीकरण बना। केंद्र सरकार ने राजनीतिक ढाँचे को इस प्रकार पुनर्गठित किया कि प्रशासनिक नियंत्रण और विकास योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी हो सके। इससे राष्ट्रीय नीतियों जैसे आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं को सीधे कश्मीर में लागू करना संभव हुआ।

अनुच्छेद 370 का निरसन जम्मू-कश्मीर की राजनीति में एक गहरे संरचनात्मक परिवर्तन का प्रतीक है। इससे न केवल अलगाववादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगा, बल्कि लोकतंत्र की जड़ें भी मजबूत हुईं। अब राजनीतिक दलों का एजेंडा “विशेष दर्जे की बहाली” से हटकर “विकास, रोजगार और सुशासन” पर केंद्रित है। हालाँकि राज्य का पूर्ण दर्जा अभी बहाल नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक स्थिरता, सुरक्षा और जनविश्वास की दिशा में यह कदम दीर्घकालिक सकारात्मक परिणाम दे सकता है।

सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव— अनुच्छेद 370 और 35। के निरसन (5 अगस्त 2019) का जम्मू-कश्मीर के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव केवल प्रशासनिक या राजनीतिक स्तर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज की संरचना, नागरिक अधिकारों, लैंगिक समानता, शिक्षा, रोजगार, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक एकीकरण जैसे अनेक क्षेत्रों में व्यापक रूप से देखा गया है। अनुच्छेद 370 और 35। के हटने से जम्मू-कश्मीर अब पूरी तरह से भारतीय संविधान के अंतर्गत आ गया है। इससे राज्य के नागरिकों को वही मौलिक अधिकार, संवैधानिक सुरक्षा और सामाजिक सुविधाएँ प्राप्त हुई हैं, जो देश के अन्य नागरिकों को प्राप्त हैं। पहले राज्य के बाहर के नागरिकों को भूमि खरीदने, सरकारी नौकरी करने, या वहाँ स्थायी रूप से बसने की अनुमति नहीं थी। अब यह प्रतिबंध समाप्त हो गया है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण और सामाजिक न्याय की व्यवस्था लागू हुई है। महिलाओं को समान उत्तराधिकार अधिकार प्राप्त हुए हैं; पहले किसी बाहरी व्यक्ति से विवाह करने पर उन्हें संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया जाता था। यह परिवर्तन सामाजिक समानता और न्याय के दृष्टिकोण से ऐतिहासिक रहा है।

अनुच्छेद 35 अ के तहत बनी राज्य की नागरिकता नीति महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण थी। यदि जम्मू-कश्मीर की कोई महिला राज्य के बाहर के पुरुष से विवाह करती थी, तो वह “स्थायी निवासी” का दर्जा खो देती थी। उसके बच्चों को भी राज्य में संपत्ति या नागरिकता के अधिकार नहीं मिलते थे। अब इस असमानता को समाप्त कर दिया गया है। महिलाओं को समान अधिकार और सुरक्षा मिली है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 की भावना के अनुरूप है। इससे राज्य में महिला सशक्तिकरण को नया आयाम मिला है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र सरकार की अनेक योजनाएँ जैसे कृ समग्र शिक्षा अभियान, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, नई शिक्षा नीति 2020 आदि अब जम्मू-कश्मीर में पूर्ण रूप

से लागू हो सकी हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों और तकनीकी विश्वविद्यालयों की स्थापना से युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। देश के अन्य राज्यों से विद्यार्थियों और शिक्षकों का आगमन बढ़ा है, जिससे सांस्कृतिक संवाद और राष्ट्रीय एकता को बल मिला है।

कश्मीर हमेशा से भारत की बहुलतावादी संस्कृति, सूफी परंपरा और सहअस्तित्व का प्रतीक रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद, इस सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर पुनः जोड़ने के प्रयास हुए हैं। कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास योजनाएँ शुरू हुईं, जिससे सांस्कृतिक संतुलन बहाल करने की दिशा में पहल हुई है। सांस्कृतिक केंद्रों, कला अकादमियों, हस्तशिल्प उद्योगों और पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिला है। धार्मिक और भाषाई विविधता के साथ-साथ कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी, उर्दू और हिंदी भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा मिला है। हालाँकि, प्रारंभिक चरण में कुछ समूहों ने अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर आशंकाएँ भी व्यक्त कीं कि "विशेष दर्जा" हटने से उनकी स्थानीय परंपराएँ और भाषा कमजोर हो सकती हैं। लेकिन दीर्घकाल में यह कदम सांस्कृतिक समावेशिता की दिशा में सहायक सिद्ध हो रहा है। अलगाववादी राजनीति और आतंकवाद से दशकों तक पीड़ित कश्मीर समाज को अब नई स्थिरता और सुरक्षा का अनुभव हो रहा है। आतंकवादी गतिविधियों और पत्थरबाजी की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। युवाओं के लिए शिक्षा, खेल और रोजगार के नए अवसर खुलने से उग्रवाद की ओर झुकाव घटा है। समाज में भय के वातावरण की जगह धीरे-धीरे सामान्य जीवन और विकास की भावना ने स्थान लिया है। अनुच्छेद 370 का हटना एक ऐतिहासिक मानसिक परिवर्तन का प्रतीक भी रहा है। राज्य के नागरिकों में राष्ट्रीय एकता के प्रति नई चेतना उत्पन्न हुई है। पहले जो "हम" और "वे" की मानसिकता थी, वह धीरे-धीरे कम हो रही है। आम जनता अब देश के अन्य राज्यों की सामाजिक गतिविधियों, रोजगार अवसरों और सांस्कृतिक आयोजनों से अधिक जुड़ रही है। हालाँकि, सभी परिवर्तन सहज नहीं रहे। कुछ वर्गों को भय है कि बाहरी आबादी के आगमन से स्थानीय जनसांख्यिकी और संस्कृति पर प्रभाव पड़ेगा। नई नीतियों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और संतुलन की आवश्यकता है ताकि सामाजिक असंतोष न बढ़े। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन और नागरिक समाज को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। कश्मीर भारत की सांस्कृतिक आत्मा का हिस्सा रहा है जहाँ शारदा पीठ की विद्या परंपरा, ललितादित्य की कला, और सूफी संतों की करुणा ने भारतीय सभ्यता को समृद्ध किया। अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद यह क्षेत्र पुनः उस "सांस्कृतिक राष्ट्रवाद" की मुख्यधारा से जुड़ रहा है, जहाँ विविधता में एकता का आदर्श साकार होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अनुच्छेद 370 का निरसन एक ऐतिहासिक परिवर्तन है जिसने जम्मू-कश्मीर के समाज को राष्ट्रीय एकता, समानता और विकास की नई राह पर अग्रसर किया है। यद्यपि इस प्रक्रिया में कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं, परंतु दीर्घकालीन प्रभावों के रूप में यह कदम भारतीय समाज की समरसता और समावेशिता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सकारात्मक मील का पत्थर सिद्ध हो रहा है।

आर्थिक और विकासात्मक प्रभाव— अनुच्छेद 370 और 35। के निरसन के बाद जम्मू-कश्मीर में आर्थिक परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं। यह केवल संवैधानिक बदलाव नहीं था, बल्कि एक विकासात्मक पुनर्जागरण की शुरुआत भी थी। अब यह क्षेत्र केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष योजनाओं, निवेश नीतियों, रोजगार अवसरों और आधारभूत ढांचे के विकास से जुड़ चुका है। अनुच्छेद 370 के रहते जम्मू-कश्मीर भारतीय आर्थिक व्यवस्था से पूर्ण रूप से नहीं जुड़ा था। कई केंद्रीय कानून और विकास

योजनाएँ वहाँ लागू नहीं होती थीं। निजी निवेशक राज्य के भीतर भूमि नहीं खरीद सकते थे, जिससे उद्योग-व्यवसाय की संभावनाएँ सीमित रहीं। अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। भारत की एकल कर प्रणाली, औद्योगिक नीति, बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं के नियम अब जम्मू-कश्मीर में समान रूप से लागू हैं। केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाएँ यहाँ तेजी से लागू हो रही हैं। इससे राज्य की आर्थिक गतिविधियाँ देश के अन्य हिस्सों के समान गति से आगे बढ़ने लगी हैं।

अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में "न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम 2021" लागू की, जिसके अंतर्गत लगभग ₹28,400 करोड़ के निवेश प्रस्ताव स्वीकृत हुए। फार्मास्यूटिकल, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा और हस्तशिल्प उद्योग जैसे क्षेत्रों में निजी कंपनियों ने रुचि दिखाई है। फिक्की और सीआईआई जैसे औद्योगिक संगठनों ने क्षेत्रीय निवेश सम्मेलनों का आयोजन किया है। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसर बढ़े हैं। निवेश के इन प्रयासों से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है, बल्कि विकास की आत्मनिर्भर संस्कृति भी विकसित हो रही है।

कश्मीर लंबे समय तक "धरती का स्वर्ग" कहलाता रहा है, परंतु आतंकवाद और अस्थिरता के कारण पर्यटन उद्योग लगभग ठप हो गया था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र और राज्य प्रशासन ने पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए अनेक पहलें की हैं। गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, डल झील, लद्दाख, और कटरा जैसे स्थलों पर बुनियादी ढाँचे में सुधार हुआ है। फिल्म उद्योग की वापसी हुई है; कश्मीर फिर से शूटिंग के प्रमुख स्थल के रूप में उभर रहा है। 2023-24 में राज्य में 2 करोड़ से अधिक पर्यटकों का आगमन हुआ, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा। पर्यटन से स्थानीय व्यापार, परिवहन, हस्तशिल्प और होटल उद्योग को प्रत्यक्ष लाभ मिला है।

कृषि और बागवानी जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। सेब, केसर, अखरोट, बादाम, चेरी, और ड्राई फ्रूट्स की खेती यहाँ के प्रमुख उत्पादन हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना, और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत किसानों को वित्तीय सहायता और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया है। कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग यूनिट और बाजार पहुँच के विस्तार से किसानों की आमदनी में वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, और डिजिटल ग्रामीण कनेक्टिविटी के तहत रोजगार और जीवनस्तर में सुधार हुआ है।

विकास की गति का सबसे ठोस संकेत बुनियादी ढाँचे में सुधार है। रेलवे परियोजनाएँ उधमपुर-दुर्ग बनिहाल रेल लिंक की पूर्णता से जम्मू-कश्मीर अब राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से पूरी तरह जुड़ने जा रहा है। सड़क निर्माणरू जोजिला सुरंग, चेनानी-नाशरी सुरंग, और लद्दाख हाईवे जैसी परियोजनाएँ क्षेत्रीय एकीकरण को मजबूत कर रही हैं। हवाई संपर्क के अन्तर्गत श्रीनगर, जम्मू, और लेह हवाईअड्डों का आधुनिकीकरण किया गया है, जिससे व्यापार और पर्यटन को प्रोत्साहन मिला है। डिजिटल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत 4जी और 5जी सेवाओं के विस्तार से ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा और ई-कॉमर्स को नई दिशा मिली है।

विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है मानव पूँजी का निर्माण। अब केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। IIT जम्मू, AIIMS जम्मू, IIM जम्मू, और केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना से उच्च शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहन मिला है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के तहत सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इससे मानव विकास सूचकांक में

सुधार हुआ है और युवाओं के भविष्य के प्रति विश्वास बढ़ा है। पहले राज्य में बेरोज़गारी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक थी। अब निवेश और योजनाओं के क्रियान्वयन से स्थिति में सुधार हुआ है। स्टार्टअप नीति 2022 के तहत सैकड़ों स्थानीय उद्यम पंजीकृत हुए हैं। युवाओं को हुनर विकास केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पर्यटन, हस्तशिल्प, और कृषि आधारित उद्योगों में स्व-रोजगार के अवसर बढ़े हैं।

हालाँकि आर्थिक विकास की दिशा में प्रगति हो रही है, कुछ चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। आतंकवाद और सीमावर्ती अस्थिरता के कारण निवेशकों का विश्वास पूरी तरह बहाल नहीं हुआ है। बेरोज़गारी और औद्योगिक आधार की कमी अभी भी राज्य के कुछ हिस्सों में गंभीर है। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रशासनिक पारदर्शिता और सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि जम्मू-कश्मीर "विकसित भारत /2047" की परिकल्पना का अभिन्न अंग बने। हाइड्रो पावर परियोजनाएँ, ग्रीन एनर्जी, और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के माध्यम से यह क्षेत्र उत्तरी भारत का आर्थिक हब बन सकता है। लद्दाख में सौर ऊर्जा और कश्मीर में कृषि-पर्यटन संयोजन भविष्य के टिकाऊ विकास के मॉडल के रूप में उभर रहे हैं। अनुच्छेद 370 का निरसन जम्मू-कश्मीर के लिए आर्थिक दृष्टि से नए युग की शुरुआत सिद्ध हुआ है। जहाँ पहले क्षेत्र राजनीतिक अस्थिरता और विकासहीनता का प्रतीक बन चुका था, वहीं अब यह निवेश, शिक्षा, पर्यटन, और आत्मनिर्भरता की नई राह पर अग्रसर है। हालाँकि चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं, लेकिन दीर्घकालीन दृष्टिकोण से यह परिवर्तन जम्मू-कश्मीर को भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास की मुख्यधारा से जोड़ने वाला एक ऐतिहासिक मोड़ सिद्ध हो रहा है।

सुरक्षा और आतंकवाद पर प्रभाव— अनुच्छेद 370 और 35। के निरसन के बाद जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवाद की स्थिति में गहरा परिवर्तन देखा गया है। यह निर्णय केवल राजनीतिक या प्रशासनिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। दशकों से आतंकवाद, अलगाववाद और सीमापार घुसपैठ से जूझते कश्मीर में अब एक नई शांति, स्थिरता और सुरक्षा व्यवस्था की नींव रखी जा रही है। अनुच्छेद 370 की विशेष स्थिति के कारण जम्मू-कश्मीर लंबे समय तक राजनैतिक अस्पष्टता और प्रशासनिक जटिलता में फंसा रहा। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने 1989 के बाद से घाटी को हिंसा के दायरे में धकेल दिया। अलगाववादी संगठनों और आतंकी समूहों (जैसे हिज्बुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद) ने स्थानीय युवाओं को भटकाया। अनुच्छेद 35 अ ने बाहरी नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगाकर सुरक्षा एजेंसियों के कार्य को कठिन बना दिया था। इन परिस्थितियों ने न केवल राज्य की शांति को नष्ट किया, बल्कि पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न की।

5 अगस्त 2019 के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को सीधे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में लेकर सुरक्षा ढांचे का पुनर्गठन किया। मुख्य बिंदु इस प्रकार रहे— जैसे अलगाववादी संगठनों और नेताओं पर प्रतिबंध लगाया गया। जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसी संस्थाओं की वित्तीय जाँच और संपत्तियों की जब्ती की गई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही से आतंकवाद के वित्त पोषण पर नकेल कसी गई। इंटरनेट निगरानी, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, और स्थानीय पुलिस की क्षमता में वृद्धि की गई। इन प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि आतंकवादी नेटवर्क की जड़ें धीरे-धीरे कमजोर होने लगीं। केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के आँकड़ों के अनुसार — 2018-19 की तुलना में

2020–24 के बीच आतंकी घटनाओं में लगभग 60 प्रतिशत की कमी आई। पत्थरबाजी और जनसुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तारी की घटनाएँ घटकर न्यूनतम स्तर पर पहुंच गईं। सीमापार से घुसपैठ के प्रयासों में उल्लेखनीय गिरावट आई, क्योंकि LoC पर निगरानी प्रणाली और ड्रोन तकनीक को मजबूत किया गया। अब घाटी के अधिकांश क्षेत्रों में आम जनजीवन सामान्य हो चुका है, स्कूल, व्यापार और पर्यटन फिर से सक्रिय हैं। पहले आतंकवादी संगठन बेरोज़गार युवाओं को उग्रवाद की ओर आकर्षित करते थे। अब केंद्र और राज्य प्रशासन ने युवाओं के लिए रोज़गार, शिक्षा और खेल के नए अवसर खोले हैं। मिशन यूथ, हिम्मत प्रोजेक्ट, और Udaan योजना के माध्यम से युवाओं को स्वरोज़गार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खेल आयोजनों, सांस्कृतिक उत्सवों और तकनीकी प्रतियोगिताओं से नई ऊर्जा का संचार हुआ है। स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों में युवाओं की भर्ती बढ़ी है, जिससे राज्य की सुरक्षा में जनसहभागिता बढ़ी है। इससे आतंकवाद के लिए जनसमर्थन का आधार कमजोर पड़ा है। जम्मू–कश्मीर का भू–राजनीतिक महत्व अत्यधिक है, क्योंकि इसकी सीमाएँ पाकिस्तान और चीन से लगती हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद भारत ने सीमा सुरक्षा को लेकर कई रणनीतिक कदम उठाए। LoC पर स्मार्ट फेंसिंग, सर्विलांस ड्रोन, और सेंसर आधारित निगरानी प्रणाली लागू की गई। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन की पोल खोली गई; FATF और UN में भारत के रुख को वैश्विक समर्थन मिला। लद्दाख क्षेत्र के पुनर्गठन से चीन सीमा पर सैन्य रणनीति को भी सुदृढ़ किया गया। इन उपायों से जम्मू–कश्मीर में सीमापार आतंकवाद पर नियंत्रण में उल्लेखनीय सफलता मिली है। पहले आतंकवाद और अस्थिरता के कारण महिलाओं का सामाजिक जीवन सीमित था। अब सुरक्षा बलों की उपस्थिति और स्थिर प्रशासन के कारण महिलाएँ शिक्षा, व्यवसाय और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। स्वयं सहायता समूह और महिला उद्यमिता कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण प्राप्त हो रहा है।

भारत के इस निर्णय पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभिक प्रतिक्रियाएँ मिली–जुली थीं, परंतु समय के साथ वैश्विक समुदाय ने इसे भारत का आंतरिक विषय मान लिया। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, रूस, फ्रांस, और यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का समर्थन नहीं किया। अब भारत की Zero Tolerance Policy Against Terrorism को वैश्विक मान्यता मिली है। इससे कश्मीर का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कमजोर पड़ा और आतंकवाद पर भारत की नीति को बल मिला।

शांति स्थापना और दीर्घकालिक स्थिरता— अनुच्छेद 370 के निरसन का प्रभाव केवल भारत की आंतरिक राजनीति और समाज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके गहरे अंतराष्ट्रीय और कूटनीतिक आयाम भी देखने को मिले। जम्मू–कश्मीर सदैव से अंतराष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रहा है, विशेषकर भारत–पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में। जब 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू–कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की घोषणा की, तब इस कदम ने वैश्विक मंच पर विभिन्न प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया।

अ— भारत–पाकिस्तान संबंधों पर प्रभाव— अनुच्छेद 370 का हटना पाकिस्तान के लिए सबसे संवेदनशील विषयों में से एक था। पाकिस्तान ने इसे संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन और द्विपक्षीय समझौतों (विशेषतः शिमला समझौता, 1972) के विपरीत बताया। पाकिस्तान ने भारत से राजनयिक संबंधों को घटाया, व्यापारिक रिश्ते तोड़े और कश्मीर मुद्दे को वैश्विक स्तर पर उठाने का प्रयास किया। हालांकि, भारत ने इसे अपनी आंतरिक संप्रभुता का विषय बताते हुए स्पष्ट किया कि यह निर्णय भारत का संवैधानिक और घरेलू मामला है।

ब- चीन की प्रतिक्रिया और सीमा विवाद- चीन, जो पाकिस्तान का रणनीतिक सहयोगी है, ने भी इस निर्णय पर आपत्ति जताई, विशेषकर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने को लेकर। चीन ने दावा किया कि लद्दाख के कुछ हिस्से विवादित हैं (अक्साई चिन क्षेत्र)। इसके परिणामस्वरूप, भारत-चीन सीमा तनाव (विशेषकर गलवान घाटी, 2020) ने नए आयाम ग्रहण किए। यह स्थिति भारत की उत्तरी सीमाओं पर सुरक्षा और कूटनीतिक रणनीति को प्रभावित करती रही।

स- संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक प्रतिक्रियाएँ- संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा हल करने की सलाह दी और शांति बनाए रखने की अपील की। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस जैसे प्रमुख देशों ने प्रारंभ में संयम बरतने का आग्रह किया, परंतु बाद में अधिकांश देशों ने भारत के इस कदम को आंतरिक मामला मानते हुए भारत की संप्रभुता का समर्थन किया। रूस और अरब देशों जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने भारत के साथ अपने राजनयिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाए रखा, जिससे भारत की वैश्विक स्थिति और मजबूत हुई।

द- मानवाधिकार और पश्चिमी मीडिया की भूमिका- कुछ पश्चिमी मीडिया संस्थानों और मानवाधिकार संगठनों ने संचार प्रतिबंधों, राजनीतिक बंदियों और इंटरनेट बंदी जैसे मुद्दों को लेकर आलोचना की। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन मुद्दों ने मानवाधिकार विमर्श को जन्म दिया, हालांकि भारत सरकार ने इन आलोचनाओं को झूठे और पक्षपातपूर्ण नैरेटिव करार दिया। इसके विपरीत, भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में यह तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 के हटने से कश्मीर में विकास, समानता और शासन की पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है।

य- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग और भू-राजनीतिक परिदृश्य- अनुच्छेद 370 के बाद दक्षिण एशिया का भू-राजनीतिक समीकरण कुछ हद तक परिवर्तित हुआ। भारत ने अपने क्षेत्रीय नेतृत्व को सशक्त किया, वहीं पाकिस्तान ने चीन के साथ अपने संबंधों को और गहरा किया। दूसरी ओर, अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी (2021) के बाद क्षेत्रीय स्थिरता के मुद्दे पर भारत की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण मानी गई। इस परिप्रेक्ष्य में, भारत का कश्मीर संबंधी रुख राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन का अहम तत्व बन गया।

र- भारत की कूटनीतिक रणनीति और सॉफ्ट पावर का उपयोग- भारत ने अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद वैश्विक स्तर पर एक प्रभावी कूटनीतिक अभियान चलाया। विदेश मंत्रालय ने विभिन्न देशों को विश्वास में लिया कि यह कदम संविधान के भीतर और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप है। भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर जैसे संस्कृति, योग, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, और आईटी सहयोग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सकारात्मक छवि बनाए रखी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुच्छेद 370 के हटने से प्रारंभिक अस्थिरता के बावजूद भारत ने कूटनीतिक रूप से परिपक्व और संतुलित नीति अपनाई। समय के साथ अधिकांश देशों ने इसे भारत का आंतरिक निर्णय मान लिया और भारत की संपूर्णता एवं एकता के पक्ष में रुख अपनाया। इस निर्णय ने भारत को एक दृढ़, आत्मनिर्भर और निर्णायक राष्ट्र के रूप में वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित किया, जिसने यह संदेश दिया कि राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक समानता सर्वोपरि हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय दबाव कुछ भी हो।

चुनौतियाँ और भविष्य की दिशा- यद्यपि स्थिति में सुधार हुआ है, परंतु कुछ चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं-

1. सीमावर्ती घुसपैठ और हाइब्रिड आतंकवाद (स्थानीय आतंकी) की घटनाएँ समय-समय पर चिंता पैदा करती हैं।
2. सोशल मीडिया के माध्यम से कट्टरपंथी विचारधाराओं का प्रसार रोकने के लिए निरंतर निगरानी आवश्यक है।
3. सुरक्षा बलों को स्थानीय जनसमर्थन और मानवाधिकार संवेदनशीलता दोनों का संतुलन बनाए रखना होगा।
4. अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति में एक ऐतिहासिक परिवर्तन आया है।
5. जहाँ कभी आतंकवाद और अलगाववाद हावी थे, वहाँ अब शांति, विकास और लोकतंत्र की नई रोशनी फैली है।
6. सुरक्षा एजेंसियों की दक्षता, प्रशासनिक पारदर्शिता, और जनसहयोग के माध्यम से यह क्षेत्र आज भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक बन रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और कूटनीतिक आयाम— अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा क्षेत्रों में कई सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। लेकिन दीर्घकालीन स्थिरता, समावेशी विकास और सामाजिक एकता सुनिश्चित करने के लिए कई चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। इसके साथ ही भविष्य में इस क्षेत्र के लिए स्पष्ट और रणनीतिक दिशा की आवश्यकता है। स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है, लेकिन राजनीतिक स्थिरता के लिए स्थानीय नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमताओं का विकास आवश्यक है। अलगाववादी मानसिकता का समाधान के अन्तर्गत कुछ स्थानीय समूह अब भी केंद्र के कदमों के प्रति संशय रखते हैं। उनका मुख्य ध्यान राजनीतिक संवाद और मुख्यधारा से पुनः जुड़ाव पर होना चाहिए। संवैधानिक सुधारों की संवेदनशीलता के अन्तर्गत प्रशासनिक ढाँचे में बदलाव और कानून लागू करने में स्थानीय संवेदनशीलता और सांस्कृतिक पहचान का ध्यान रखना चुनौतीपूर्ण है।

सांस्कृतिक पहचान और बहुलतावाद के अन्तर्गत अनुच्छेद 370 हटने के बाद बाहरी निवेशकों और कर्मचारियों के आगमन से कुछ स्थानीय समुदायों में सांस्कृतिक चिंता बढ़ी। युवाओं का मानसिक संतुलन के अन्तर्गत आतंकवाद और अस्थिरता के दशकों बाद युवा पीढ़ी में नौकरी, शिक्षा और सामाजिक अवसरों को लेकर आशंकाएँ हैं। महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत महिलाओं को समान अधिकार और रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं, लेकिन पारंपरिक सामाजिक बाधाओं और सुरक्षा चिंताओं को दूर करना अभी चुनौती है।

साइबर और हाइब्रिड आतंकवाद के अन्तर्गत आतंकवादी संगठन अब सोशल मीडिया, फंडिंग नेटवर्क और ऑनलाइन राडिकलाइजेशन के माध्यम से नई रणनीति अपना रहे हैं। सीमापार तनाव के अन्तर्गत पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा विवाद और आतंकवादी गतिविधियों की संभावनाएँ बनी हुई हैं। स्थानीय समर्थन का पुनर्निर्माण के अन्तर्गत युवाओं और समाज का आतंकवाद विरोधी मानसिकता में स्थायी रूप से परिवर्तित होना आवश्यक है।

स्थानीय रोजगार और उद्योग के अन्तर्गत निवेश बढ़ा है, लेकिन अभी भी बेरोजगारी और स्वरोजगार के अवसर पर्याप्त नहीं हैं। समान विकास के अन्तर्गत जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के बीच समान आर्थिक विकास सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है। बुनियादी ढाँचे में सुधार के अन्तर्गत सड़क, रेल, हवाई और डिजिटल कनेक्टिविटी में प्रगति हुई है, पर ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में अभी भी समान पहुंच सुनिश्चित करनी है।

भविष्य की दिशा –

(क) राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक सुधार के अन्तर्गत स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं की क्षमता को सुदृढ़ करना। प्रशासनिक सुधार और कानूनों को लागू करते समय स्थानीय भावनाओं और परंपराओं का ध्यान रखना।

(ख) सामाजिक समावेशिता के अन्तर्गत युवाओं को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करना। महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा और स्वरोजगार योजनाओं का विस्तार करना। सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का संरक्षण करना।

(ग) सुरक्षा और आतंकवाद निरोध के अन्तर्गत साइबर सुरक्षा और निगरानी तंत्र को आधुनिक बनाना। सीमापार आतंकवाद पर नियंत्रण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग मजबूत करना। स्थानीय समुदाय के सहयोग और जनसहभागिता के माध्यम से स्थायी शांति सुनिश्चित करना।

(घ) आर्थिक विकास और निवेश के अन्तर्गत पर्यटन, कृषि, हाइड्रो पावर, नवाचार और स्टार्टअप को प्राथमिकता देना। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे और डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार। निवेशकों के लिए स्थिर और पारदर्शी नीति सुनिश्चित करना।

(ङ) अंतराष्ट्रीय और कूटनीतिक पहल के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर की स्थिरता को अंतराष्ट्रीय मंच पर एक सकारात्मक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना। वैश्विक सहयोग और निवेश को बढ़ावा देना। आतंकवाद और अलगाववाद पर अंतराष्ट्रीय समर्थन में कमी लाना।

निष्कर्ष— अनुच्छेद 370 और 35 अ का निरसन जम्मू-कश्मीर के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ है। यह केवल संवैधानिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि इसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सुरक्षा और कूटनीतिक आयाम भी हैं, जो न केवल क्षेत्रीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण हैं।

राजनीतिक प्रभाव— अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू-कश्मीर पूरी तरह से भारतीय संविधान के अंतर्गत आ गया। इससे स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं की भागीदारी बढ़ी और राज्य का प्रशासनिक ढांचा राष्ट्रीय एकता के अनुरूप सुदृढ़ हुआ। राजनीतिक स्थिरता, कानून का शासन और जनप्रतिनिधित्व की प्रक्रिया में सुधार हुआ है।

सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव— समान नागरिक अधिकार, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और सामाजिक अवसरों में वृद्धि ने समाज में समानता और समावेशिता को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का संरक्षण अब राष्ट्रीय विकास योजनाओं के साथ जुड़ा है।

आर्थिक और विकासात्मक प्रभाव— केंद्र सरकार की नीतियों, निवेश आकर्षण और विकास योजनाओं के कारण जम्मू-कश्मीर में रोजगार, उद्योग, पर्यटन, कृषि और बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है। इससे आर्थिक समावेशिता और आत्मनिर्भरता के मार्ग को बल मिला है।

सुरक्षा और आतंकवाद पर प्रभाव— सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता, सीमापार निगरानी, स्थानीय युवाओं का पुनर्वास और प्रशासनिक सुधारों से आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। इससे क्षेत्र में स्थिरता आई और लोगों का जीवन सामान्य हुआ, जिससे विकास की प्रक्रिया को गति मिली।

अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक आयाम— इस निर्णय ने भारत की राष्ट्रीय संप्रभुता और आंतरिक एकता को वैश्विक स्तर पर सुदृढ़ किया। अधिकांश देशों ने इसे भारत का आंतरिक मामला मानते हुए समर्थन दिया। यह कदम भारत की कूटनीतिक साख और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को भी मजबूत बनाने वाला साबित हुआ।

चुनौतियाँ और भविष्य की दिशा— हालांकि सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, लेकिन दीर्घकालीन स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता, सुरक्षा, रोजगार, आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशिता के क्षेत्र में अभी भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। भविष्य में सतत विकास, स्थानीय जनसहयोग, निवेश, मानव संसाधन विकास, महिला सशक्तिकरण और अंतरराष्ट्रीय रणनीति के माध्यम से जम्मू-कश्मीर को एक समृद्ध, स्थिर और आत्मनिर्भर प्रदेश के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 370 का निरसन जम्मू-कश्मीर को राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समावेशिता, आर्थिक विकास और सुरक्षा के मार्ग पर ले गया है। यह कदम प्रशासनिक, कानूनी और रणनीतिक दृष्टि से क्षेत्र और देश दोनों के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। यदि भविष्य में सतत प्रयास और नीति-निर्माण जारी रखा गया, तो जम्मू-कश्मीर न केवल भारत का सशक्त अंग बनेगा, बल्कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता का प्रतीक भी बनेगा।

अंततोगत्वा अनुच्छेद 370 का निरसन भारत की कश्मीर नीति में एक ऐतिहासिक परिवर्तन है। इससे जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्यधारा में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हालाँकि, इस परिवर्तन के साथ कई चुनौतियाँ भी जुड़ी हैं विशेषकर लोकतांत्रिक पुनर्स्थापन और विश्वास निर्माण की। यदि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर पारदर्शिता, संवाद और विकास पर ध्यान केंद्रित करें, तो यह निर्णय दीर्घकालिक शांति और समृद्धि का आधार बन सकता है।

सन्दर्भ सूची—

1. भारत का संविधान, अनुच्छेद 370 एवं 35 अ
2. भारत सरकार, गृह मंत्रालय— जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019।
- 3- Press Information Bureau (PIB) Government of India Reports 2019–2024A
- 4- Ministry of Home Affairs Annual Report, 2023–24।
- 5- Verma, A.K. (2020). *Kashmir After Article 370: Politics, Policy and Peace*. New Delhi: Sage Publications.
- 6- Noorani, A.G. (2011). *Article 370: A Constitutional History of Jammu and Kashmir*. Oxford University Press.
- 7- The Hindu, Indian Express, BBC Hindi Reports (2019–2024)।
- 8- Observer Research Foundation (ORF) Policy Papers on Jammu and Kashmir, 2022।
- 9- Sharma, R. (2021). *Security and Development in Jammu and Kashmir*. New Delhi: Routledge India.
- 10- United Nations Statements on Jammu and Kashmir (2019–2022)
- 11- Government of India. (2019). *The Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 2019*. Ministry of Law and Justice, New Delhi.
- 12- Bose, S. (2003). *Kashmir: Roots of Conflict, Paths to Peace*. Harvard University Press.
- 13- Ganai, M. Y. (2020). *Economic and Social Transformation in Post-Article 370 Jammu & Kashmir*. *Journal of South Asian Studies*, 35(2), 45–67.

- 14- Khan, S. (2021). *Security and Terrorism in Jammu & Kashmir After 2019*. International Journal of Strategic Studies, 12(4), 112–135.
- 15- International Crisis Group. (2020). *Jammu & Kashmir: Dynamics and Challenges*. Asia Report No. 312.
- 16- Ministry of Home Affairs, Government of India. (2022). *Annual Report on Internal Security and Border Management*.
- 17- Schofield, V. (2010). *Kashmir in Conflict: India, Pakistan and the Unending War*. I. B. Tauris.
- 18- Zutshi, C. (2014). *Kashmir: History, Politics, Representation*. Cambridge University Press.
- 19- United Nations. (2019). *Statements on the Situation in Jammu & Kashmir*. UN Press Releases.
- 20- Planning Commission/ NITI Aayog. (2021). *Jammu & Kashmir Development Report*. Government of India.
- 21- Ministry of Finance, Government of India. (2021). *Investment and Industrial Development in Jammu & Kashmir*.